पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के निर्देशन में आज दिनांक:- 08.06.2021 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित पुत्र राजेश निवासी मौ० दानिश मंदान थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा मय 30 पव्वे देशी शराब फाइटर मार्का सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना बछरायू पुलिस द्वारा अभियुक्त जािकर पुत्र कलुआ निवासी लिसडी खुर्द थाना बछरायू जनपद अमरोहा को 40 लीटर अपिमिश्रित शराब, 05 कि0ग्रा0 यूरिया, 1.5 कि0 ग्रा0 नौशादर तथा शराब बनाने के उपकरणों सिहत गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा अभियुक्त यशपाल पुत्र मुखितयार सिंह निवासी देहरा घनश्याम थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को चोरी की 01 मोटर साइकिल सिंहत गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा रेतराम पुत्र पूरन सिंह निवासी डाकेवाली डगरोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को 30 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना सैदनगली पुलिस द्वारा वादी के घर में घुसकर धारदार हथियार से मारपीट, गाली गलौज व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले 02 अभियुक्त 1. इशरत पुत्र रमजानी व 2. मुकर्रम पुत्र रमजानी निवासीगण कस्बा उझारी थाना सैदनगली जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त महेन्द्र पुत्र चुन्नी निवासी लठीरा माफी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर देशी शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- रहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त कमल पुत्र दयाराम निवासी ग्राम खैरिया खालसा थाना रहरा जनपद अमरोहा को मय 40 लीटर कच्ची शराब, 180 लीटर लहन (मौके पर नष्ट किया गया) व शराब बनाने के उपकरणो सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना नौगावा पुलिस द्वारा 06 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 04 व्यक्ति, थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, व थाना रहरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।